



थाना नहतौर पुलिस द्वारा 02 शातिर पशु चोर गिरफ्तार ।



श्रीमान पुलिस अधीक्षक बिजनौर महोदय के द्वारा चलाये जा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी धामपुर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना नहतौर पुलिस टीम द्वारा दौराने चैकिंग झालू चौराहे के पास से दो नफर अभियुक्तगण 1- नईम पुत्र यासीन निवासी करमश खेडी थाना नजीबाबाद 2- नौमान पुत्र अकरम निवासी ग्राम गावडी परियाला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर मय चोरी

की एक भैंस, पिकअप बुलेरो वाहन के साथ मय नाजायज चाकूओं के गिरफ्तार किया गया है । नाजायज चाकू की बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 272/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम नईम उपरोक्त व मु0अ0सं0 273/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम नौमान उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

अभि0गण द्वारा पूछताछ में बताया कि हम दोनो ने अपने दो अन्य साथी फरमान पुत्र चन्दा, सुलेमान पुत्र चन्दा नि0गण करौदा थाना कोतवाली देहात के साथ मिलकर दिनांक 20/09/2021 की रात्री मे समय करीब 03.00 बजे एक भैंस कोतवाली देहात मौ0 रजा कालोनी से एक व्यक्ति के घर से चोरी की थी, तथा हम दोनो नें मिलकर करीब 01 महीना पहले दिन में एक भैंस नहतौर के मौ0 धर्मशाला के पास नई कालोनी से घास चरती हुयी चोरी की थी। चोरी करके भैंस को चलते फिरते एक व्यक्ति को जिसको हम नहीं जानते जो चक मोड पर खडा था को 20 हजार रुपये में बेच दिया था । जो 05 हजार रुपये बरामद हुये हैं ये उसी भैंस के बेचने से प्राप्त हुये थे । बाकी पैसे हमसे खर्च हो गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. नईम पुत्र यासीन नि0 ग्राम करमश खेडी थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर
2. नौमान पुत्र अकरम निवासी गावडी परियाला थाना नूरपुर जिला बिजनौर

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण

1. एक अदद रास भैंस कीमत करीब 70,000/- रुपये ।
2. एक अदद वाहन पिकअप बुलैरो नं0 UP20AT3182
3. 02 अदद चाकू नाजायज
4. 5,000/- रुपये नकद भैंस चोरी के

अभियुक्त नईम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 80/20 धारा 3/5/8 CS Act व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर
2. मु0अ0सं0 180/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर
3. मु0अ0सं0 215/2021 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जिला बिजनौर
4. मु0अ0सं0 270/2021 धारा 379/411 भादवि थाना नहतौर जिला बिजनौर
5. मु0अ0सं0 272/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नहतौर जिला बिजनौर

अभियुक्त नौमान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 215/2021 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जिला बिजनौर
2. मु0अ0सं0 270/2021 धारा 379/411 भादवि थाना नहतौर जिला बिजनौर
3. मु0अ0सं0 273/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नहतौर जिला बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. प्रभारी निरीक्षक श्री लव सिरोही
2. व0उ0नि0 श्री अनुज तोमर
3. उ0नि0 श्री बबलू सिंह
4. उ0नि0 श्री विक्रान्त सिंह
5. का0 1833 आदित्य मलिक
6. रि0कां0 2225 राहुल कुमार

थाना स्योहारा:- थाना स्योहारा पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त इरफान पुत्र अशरफ अली मोहल्ला मुस्लिम चौधरियां थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना हल्दौर:- थाना हल्दौर पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 280/21 धारा 323/504/506/308/304 आईपीसी में नामित अभियुक्त 1- विजेंद्र सिंह पुत्र सूक्खे उर्फ सुखबीर 2-विजय पाल सिंह पुत्र सूक्खे उर्फ सुखबीर सिंह निवासी ग्राम मकरंदपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को मकरंदपुर मोड नूरपुर बिजनौर रोड से गिरफ्तार किया गया । जिनकी निशा देही पर मृतक सोनाथ की हत्या में प्रयुक्त लाठी डंडा बरामद किए गए हैं ।



थाना शिवाला कला:- थाना शिवाला कलां पुलिस द्वारा अभियुक्त राकेश पुत्र टेकचंद निवासी फिना कलां जनपद बिजनौर को 24 देसी फाइटर शराब सहित गिरफ्तार किया गया । जिस संबन्ध में थाना शिवाला कलां पर मु0अ0सं0 100 /21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।



थाना शिवाला कला:- थाना शिवाला कलां पुलिस द्वारा अभियुक्त जितेन पुत्र धर्मपाल ग्राम लोदीपुर मिलक थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर एवं संतराम पुत्र महुआ सिंह ग्राम लोदीपुर जिला थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना हल्दौर:- थाना हल्दौर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तगण 1- रोहित उर्फ छोटू निवासी पैजनिया थाना हल्दौर जनपद बिजनौर 2- रिजवान पुत्र दिलशाद निवासी पैजनिया थाना हल्दौर जनपद बिजनौर 3- सरफराज पुत्र दिलशाद निवासी पैजनिया थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना स्योहारा:- थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त सद्दाम हुसैन ग्राम बुडेरन थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना शेरकोट:- थाना शेरकोट पुलिस द्वारा अभियुक्त जसवंत पुत्र बलदेव व सुमित पुत्र जसवंत निवासी गण ग्राम सहाली पुर नीचल उर्फ मंधोरा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



मिशन शक्ति अभियान फेस-03



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा गुरुकुल इंटरनेशनल एकेडमी नजीबाबाद में बालिकाओं/ छात्राओं को जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत को महिला थाना चाँदपुर द्वारा शकुंतला कन्या इण्टर कालेज में बालिकाओं/ छात्राओं को जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा नयादरी देवी कन्या इंटर कॉलेज में बालिकाओं/ छात्राओं को जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा ग्राम हीमपुर पछातपुरा में महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा ग्राम पेरुवाला में महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा राजा हरवंश राय इण्टर कालेज कस्बा हल्दौर में बालिकाओं/ छात्राओं को जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

